

- यह एक समग्र योजना है जिसमें सभी मौजूदा बजिली क्षेत्र सुधार योजनाओं—एकीकृत बजिली विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना का वलिय किया जाएगा।
- ग्रामीण वदियुतीकरण नगिम (Rural Electrification Corporation) और वदियुत वतित नगिम (Power Finance Corporation) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसियाँ हैं।

RDSS से संबद्ध समस्याएँ

- RDSS ने जटिल प्रक्रियाओं और फंड वतितरण की शर्तों जैसी कई डज़ाइन संबंधी समस्याएँ पूर्ववर्ती कार्यक्रमों से वरिसत में पाई हैं।
 - पछिली योजनाओं में आवंटित कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के अनुदान में से मात्र 60% का ही वतितरण किया गया था।
- राज्यों में सार्वजनिक समीक्षा और नयामक नरीक्षण की कमी एक और समस्या है। योजना के डज़ाइन का नरिदेशात्मक दृष्टिकोण प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।
 - यह योजना तंत्र को सुदृढ़ करने से अधिक ज़ोर नुकसान में कमी लाने हेतु नविश पर देती है।
 - जबकि उच्च हानि आमतौर पर नरितर खराब गुणवत्तापूर्ण सेवा से जुड़ी होती है, जो स्वयं तंत्र को मज़बूत करने में अपर्याप्त नविश से प्रभावित होती है।
- RDSS सार्वभौमिक प्रीपेड मीटरगि का प्रावधान रखता है लेकिन पोस्ट-पेड वकिल्प कई संदर्भों में अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

आगे की राह

- **ग्रामीण नेटवर्क को मज़बूत करना:** बढ़ती मांग की पूर्तके लिये ग्रामीण नेटवर्क को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है। आपूर्तके घंटों में वृद्धि, उपकरण उपयोग और ग्रामीण उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्तके लिये अधिक नेटवर्क नविश की आवश्यकता होगी।
 - इसके बनिा बजिली कटौती का जोखमि बना रहेगा। RDSS तंत्र की सशक्तिकरण योजनाओं को इस चुनौती पर केंद्रित होना चाहिये।
- **कृषिउपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना:** पीएम-कुसुम योजना के तहत मेगावाट सकेल सौर संयंत्र—जो समर्पति कृषि फीडरों को प्रत्यक्ष रूप से नरिबाध आठ घंटे बजिली प्रदान कर सकते हैं, स्थापित कर कसिानों की बड़ी संख्या को दिन के समय, कम लागतपूर्ण आपूर्तप्रदान की जा सकती है।
 - यह कसिानों की आश्वस्त आपूर्तकी मांग को पूरा करेगा और डसिकॉम की लागत एवं सबसडि आवश्यकताओं को लगभग आधा कर देगा।
 - RDSS फीडर सोलराइजेशन में तेज़ी लाने हेतु समर्पति कृषि फीडरों के लिये नविश और अनुदान को प्राथमकता देता है। यह अनुदान सहायता वशिवसनीय आपूर्तप्रदान कर सकती है और सबसडि आवश्यकताओं को कम कर सकती है।
- **वतितरण फीडरों की स्वचालित मीटरगि:** वतितरण कंपनियों नुकसान में कमी दखिाने के लिये प्रायः मीटर रहति उपभोग का अति-आकलन कर नुकसानों का अल्प-आकलन करती हैं।
 - सही परदृश्य के लिये सभी फीडरों को ऐसे मीटरों से सुसज्जति किया जाना चाहिये जो मानवीय हस्तक्षेप के बनिा रीडगि को संप्रेषति करने में सक्षम हों। राज्यों को इसके लिये स्वचालित मीटर रीडगि पर RDSS के ज़ोर का लाभ उठाना चाहिये।
- **राज्यों की भूमिका:** राज्यों को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं की पहचान करनी चाहिये और मीटरगि के लिये उपयुक्त रणनीति अपनानी चाहिये। उन्हें लागतों की तुलना में लाभों का आकलन करने के लिये रूपरेखाएँ वकिसति करनी चाहिये।
 - अपनी कार्ययोजनाओं में राज्यों को लचीलेपन की आवश्यकता पर ज़ोर देना चाहिये और वतितरण कंपनियों को प्रीपेड एवं पोस्टपेड मीटरगि के बीच एक सूचित वकिल्प चुनने की अनुमति देनी चाहिये।
 - इसके साथ ही, राज्य नयामक को स्मार्ट मीटर के कारण लागत में कमी और परदर्शन में सुधार का मूल्यांकन करने और ऐसे नविशों के कारण उपभोक्ताओं को अनुचित टैरिफि प्रभावों से बचाने के लिये एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिये।
 - केंद्र सरकार की एजेंसियों को भी नगिरानी, ट्रैकगि और फंड वतितरण व्यवस्था के मामले में पर्याप्त लचीला होना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: बजिली वतितरण कंपनियों (DISCOMs) के समक्ष वदियमान समस्याओं की चर्चा कीजिये और वचिार कीजिये कि पुनोत्थान वतितरण क्षेत्र सुधार योजना (RDSS) में संशोधन कसि प्रकार इसकी वर्तमान स्थिति में सुधार कर सकते हैं।